

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226403
SG-DL-E-08042021-226403

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 07, 2021/ चैत्र 17, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 08
No. 124]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 07, 2021/ CHAITRA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 08

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (गृह रक्षक) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

फा. सं. 1/02/2019/गृरक्ष0/977.989.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा—विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जा सकेगा।
- यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- नियम 8 में संशोधन** :—दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959, के नियम 8 में, नवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“यह भी उपबंधित है कि 31 मार्च 2021 को सेवारत गृह रक्षक स्वयं सेवकों (जो 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान कार्यमुक्त किये जाने हैं) का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक या नए नामांकन होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जायेगा, बशर्ते यह उनके संतोषजनक सेवा रिकार्ड, कार्य अवधि के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और उनके शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होने के अधीन होगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विवेक कुमार नरेश, उप-सचिव, गृह

नोट : मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, फा0 सं0 4/59-सी.डी. दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-चार में प्रकाशित हुए थे तथा 27.03.2020 की अधिसूचना संख्या फाईल-1/02/2019/होम गार्ड/1413-1425 के द्वारा अंतिम संशोधन।

HOME (HOME GUARD) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th April, 2021

F.No. 1/02/2019/HG/977-989.—In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:-

- 1. Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Amendment), Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendment of rule 8.** In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the ninth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the tenure of Home Guard Volunteers on roll as on 31st March, 2021 (and due for discharge between the period 31st March, 2021 to 31st March, 2022) may be extended up to 31st March, 2022 or till the time fresh enrolment takes place, whichever is earlier subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIVEK KUMAR NARESH, Dy. Secy. Home

(Note: The principal rule were published in Part-IV in the Delhi Gazette Extraordinary dated the 20th July, 1959, F.No.4/59-C.D. and last amended vide notification No. F. 1/02/2019/HG/ 1413-1425, dated 27/03/2020.)